

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN)

क्रमांक एफ 61 (217) PS/SSAAT/2023 / 1869-2042 दिनांक यथा ई हस्ताक्षर

दिनांक 19.09.2025 को आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग मिटिंग का कार्यवाही विवरण

निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की अध्यक्षता में दिनांक 19.09.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक कमेटी कक्ष-2, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में जिला संसाधन व्यक्तियों को पंचायत निर्णय ऐप के प्रशिक्षण एवं उपयोग संबंधी जानकारी हेतु विडियो कॉन्फ्रेंस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। सभी जिलों के जिला संसाधन व्यक्ति (DRP) जिला स्तर पर डीओआईटी के जिला स्तरीय जन सुनवाई केन्द्र से विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशिक्षण में उपस्थित रहे।

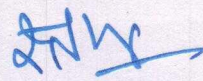
पंचायत निर्णय ऐप भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। यह ऐप ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामसभा की बैठकों को सरल और पारदर्शिता बनाने के लिए बनाया गया है। इसके जरिए सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभाओं में अंकेक्षण दल द्वारा ग्राम सभा कार्यवाही को पारदर्शिता के साथ अपलोड किया जा सकेगा। ऐप के माध्यम से बैठक का एजेन्डा अपलोड कर सकते हैं, बैठक के आयोजन की सूचना दे सकते हैं, बैठक की वीडियो और फोटो अपलोड कर सकते हैं और लिए गए निर्णयों को रिकॉर्ड कर सकते हैं।

श्री नरेन्द्र जोशी, राज्य संसाधन व्यक्ति द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के दौरान ग्राम सभा का आयोजन पंचायत निर्णय ऐप के माध्यम से कराये जाने हेतु दिनांक 23.09.2025 को सभी जिलों में जिला संसाधन व्यक्तियों (DRP's) द्वारा ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों (BRP's) को एक दिवसीय प्रशिक्षण देने हेतु पंचायत निर्णय ऐप के उपयोग किये जाने का पीपीटी के माध्यम से विस्तृत रूप से बिन्दुवार समझाया गया। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के दौरान पंचायत निर्णय ऐप के उपयोग रियल-टाइम जियो-टैग्ड, टाइम स्टैम्प्ड फोटो खींचने संबंधित तकनीकी विशेषताओं के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है। पंचायत निर्णय ऐप में ग्राम सभा का तय स्थान भरना, दिनांक भरना, ग्राम सभा में नियुक्त ओबजर्वर के नाम वर्णन करना, फोटो अपलोड करना, ग्राम सभा में उपस्थित सभी प्रतिभागियों की उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में प्रायोगिक रूप से समझाया गया।

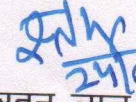
स्वा

निदेशक महोदय ने जिलेवार जिला संसाधन व्यक्तियों से संवाद स्थापित किया, समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा निम्नानुसार निर्देश दिये गये-

1. वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 में प्रस्तावित सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार सभी ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण पंचायत निर्णय ऐप के माध्यम से करवाया जाना है।
2. सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के दौरान पंचायत निर्णय ऐप के उपयोग रियल-टाइम जियो-टैग्ड, टाइम स्टैम्प्ड फोटो खींचने संबंधित तकनीकी विशेषताओं के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है। सभी ब्लॉक संसाधन व्यक्ति RSCIT में डिप्लोमा किये हुए हैं तथा स्मार्ट फोन का उपयोग करते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर से मोबाईल फोन में डाउनलोड किया जा सकता है।
3. इसलिए सभी BRP/VRP's को दिनांक 23.09.2025 को एक दिवसीय प्रशिक्षण में पंचायत निर्णय ऐप ऑपरेट करने का विस्तृत प्रशिक्षण दें। उक्त प्रशिक्षण सभी जिलों में जिला परिषद के सभागारों में आयोजित किया जाना है। दिनांक 18.09.2025 की विडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदयों द्वारा सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि उक्त प्रशिक्षण के लिए जिला परिषद के सभागारों का किराया नहीं लिया जावे।
4. जिला संसाधन व्यक्ति द्वारा संबंधित जिले में BRP/VRP की भर्ती को पूर्ण कराये जाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लायेगा। सोसायटी में विनियम 2020 के तहत निर्धारित योग्यता एवं मापदण्डों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराई जावे। जिला संसाधन व्यक्ति को सोसायटी की ओर से जिला स्तरीय चयन कमेटी में नामित किया जावे।
5. बकाया बिलों का सत्यापन करके भुगतान हेतु मुख्यालय भिजवावे जिससे उनका भुगतान किया जा सके।
6. अलवर में DRP's को BRP/VRP भर्ती का चार्ज दिया हुआ है इसके लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अलवर को पत्र लिखा जावेगा।
7. यदि किसी जगह नेटवर्क नहीं आने की समस्या है तो पहले कार्यक्रम को सेव कर ले तथा बाद में नेटवर्क आने पर अपलोड करें।
8. चित्तोडगढ़ के जिला संसाधन व्यक्ति ने बताया कि अन्य बैठक होने के कारण जिला परिषद का सभागार खाली नहीं है। इस संबंध में कहा कि अन्य कोई उपयुक्त जगह पर प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें।

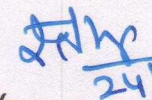


9. ऑडिट रिपोर्ट में पाई गई कमियों की तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं फोटो सहित अपलोड करायेगें। जिला संसाधन व्यक्ति की व्यवस्था नहीं हुई है तो लिखित में सूचना उपलब्ध करायेगें।
10. कलैण्डर जारी करते समय यह प्रावधान किया जायगा कि सामाजिक अंकेक्षण दल के साथ तकनीकी सहायक उपलब्ध कराया जावें।
अन्त में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


 24/09/2025
 (रतन लाल वर्मा)
 मुख्य लेखाधिकारी

क्रमांक एफ 61 (217) PS/SSAAT/2023 / 1869-2042 दिनांक यथा ई हस्ताक्षर
 प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रा.वि एवं पं.रा.विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर, समस्त
4. निजी सचिव, निदेशक, SSAAT
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त
6. मुख्य लेखाधिकारी, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
7. परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद, समस्त
8. प्रोग्रामर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. सामाजिक विकास विशेषज्ञ,
10. समस्त राज्य संसाधन व्यक्ति / समस्त जिला संसाधन व्यक्ति
11. समस्त OIC
12. समस्त ब्लॉक संसाधन व्यक्ति
13. रक्षित पत्रावली


 24/09/2025
 (रतन लाल वर्मा)
 मुख्य लेखाधिकारी